



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062026-273889
CG-DL-E-27062026-273889

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3258]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/आषाढ 4, 1948

No. 3258]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ASHADHA 4, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2026

का.आ. 3392(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 994(अ) तारीख 24 फरवरी 2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में NH-321G के कि.मी. 0+000 से कि.मी. 51+600 में तक (आगरा-जलेसर- एटा मार्ग) (सेक्शन-1) के लिए भू-खण्ड के निर्माण, (चौड़ीकरण/ दो/चार लेन बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 22 मार्च 2026 को "दैनिक जागरण (हिंदी)" और "संडे एक्सप्रेस (अंग्रेजी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में NH-321G के कि.मी. 0+000 से कि.मी. 51+600 में तक (आगरा-जलेसर - एटा मार्ग) (सेक्शन-1) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: आगरा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: एत्मादपुर					
गांव का नाम: खांडा					
1	960	निजी	कृषि	0.0516	अनिल गोस्वामी/सुरन गिरी गोस्वामी, अभिषेक गोस्वामी/अरविन्द गिरी गोस्वामी, अभिषेक गोस्वामी/अरविन्द गिरी गोस्वामी, अशोक कुमार गोस्वामी/सुरन गिरी गोस्वामी, किशोर कुमार गोस्वामी/सुरन गिरी गोस्वामी, भगवती प्रसाद/विशम्भर, रतन गिरी /कंचन गिरी, रवि गोस्वामी/सुरन गिरी गोस्वामी, राजकुमार/कंचन गिरी, राजकुमार/कंचन गिरी, विरेन्द्र सिंह/कंचन गिरी, सत्य प्रकाश

					गोस्वामी/कंचन गिरी, सत्यप्रकाश गोस्वामी/कंचन गिरी 960
Total				0.0516	

[फा.सं. CE-RO/LKO/NH-321G/LA/2021-22/3D2]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th June, 2026

S.O. 3392(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 994(E) Dated 24 February 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction (widening/two /four lane etc.,) Maintenance, management and operation of NH-321G in the stretch of land from Km. 0+000 to Km.51+600 in (Agra-Jalesar-Etha Road) (Section-1) in the District Agra state of Uttar Pradesh

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Jagaran (Hindi)” And “Sunday Express (English)” both dated “22 March 2026”, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas the Competent Authority has, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, submitted its report to the Central Government:

So now The Central Government, on receipt of the said report of the competent authority, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose

And now the Central Government, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette, the lands specified in the said Schedule shall, free from all encumbrances, vest absolutely in the Central Government .

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-321G in the stretch of land from Km. 0+000 to Km. 51+600 in (Agra-Jalesar-Etha Road) (Section-1) in the District Agra state of Uttar Pradesh.

State: UTTAR PRADESH			District: AGRA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Etmadpur					
Village: Khanda					
1	960	Private	Agriculture	0.0516	Anil Goswami / Suran Giri Goswami,

					Abhishek Goswami / Arvind Giri Goswami, Abhishek Goswami / Arvind Giri Goswami, Ashok Kumar Goswami / Suran Giri Goswami, Kishore Kumar Goswami / Suran Giri Goswami, Bhagwati Prasad / Vishambhar, Ratan Giri / Kanchan Giri, Ravi Goswami / Suran Giri Goswami, Rajkumar / Kanchan Giri, Rajkumar / Kanchan Giri, Virendra Singh / Kanchan Giri, Satya Prakash Goswami / Kanchan Giri, Satya Prakash Goswami / Kanchan Giri 960
Total				0.0516	

[F. No. CE-RO/LKO/NH-321G/LA/2021-22/3D2]

SHAIKH AMINKHAN, Director